भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2250

जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026/9 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरक सुरक्षा

2250. श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की दीर्घकालिक उर्वरक सुरक्षा का व्यापक आकलन किया है, यदि हां, तो उसके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने वैश्विक आपूर्ति शृंखला में व्यवधान, भू-राजनीतिक संघर्षों, अंतरराष्ट्रीय उर्वरक कीमतों में अस्थिरता, आयातित उर्वरकों एवं महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता का देश की कृषि उत्पादकता तथा खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई आकलन किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने, दीर्घकालिक उर्वरक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा सतत कृषि विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय उर्वरक सुरक्षा मिशन प्रारंभ करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र, कार्यान्वयन ढांचा, अनुमानित वित्तीय परिव्यय, समय-सीमा, संस्थागत तंत्र तथा राज्य सरकारों की परिकल्पित भूमिका सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क से घ): यूरिया के संबंध में, सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की घोषणा की और 7 अक्टूबर, 2014 को इसमें संशोधन किया। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से स्थापित 4 यूरिया इकाइयां और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित 2 यूरिया इकाइयां शामिल हैं। तेलंगाना में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुण्डम यूरिया इकाई तथा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल)

की 3 यूरिया इकाइयां नामत: गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी क्रमश: उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में जेवीसी के माध्यम से स्थापित इकाइयां हैं। पश्चिम बंगाल में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; और राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-।।। यूरिया इकाई निजी कंपनियों द्वारा स्थापित इकाइयां हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की संस्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां अत्यधिक ऊर्जा दक्ष हैं क्योंकि ये अद्यतन प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। अत:, इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटीपीए की वृद्धि की है जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान रही 207.54 एलएमटीपीए की कुल स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता (पुनर्आकलित क्षमता, आरएसी) वर्ष 2026-27 के दौरान बढ़कर 269.42 एलएमटीपीए हो गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी पर 12.7 एलएमटीपीए का एक नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जेवीसी नामत: तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के माध्यम से एफसीआईएल की तालचेर इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए एक विशेष नीति भी अनुमोदित की गई है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल), असम के मौजूदा परिसर के भीतर जेवीसी के माध्यम से 12.7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता के एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है जिसे असम वैली फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल कंपनी लिमिटेड (एवीएफसीसीएल) के नाम से जाना जाएगा। ये दोनो परियोजनाएं कार्यान्वयन के चरण में हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्वदेशी यूरिया उत्पादन को आरएसी से अधिक करने के एक उद्देश्य से मौजूदा 25 गैस-आधारित यूरिया इकाइयों के लिए 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 भी अधिसूचित की है। एनयूपी-2015 से यूरिया का उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान हुए वार्षिक उत्पादन की तुलना में 20-25 एलएमटीपीए बढ़ा है।

उपर्युक्त सभी उपायों से रिकार्ड यूरिया उत्पादन हुआ है, जो वर्ष 2014-15 के दौरान 225 एलएमटी प्रतिवर्ष था वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़कर 314.07 एलएमटी प्रतिवर्ष हो गया है। वर्ष 2025-26 के दौरान देश में 293.30 एलएमटी यूरिया का उत्पादन हुआ है।

इसके अलावा, आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (एनआईपीयू-2026) को 15.07.2026 को मंजूरी दी।

हाल के वैश्विक व्यवधानों को देखते हुए, विभाग ने विदेशों में भारतीय दूतावासों के सहयोग के माध्यम से विभिन्न देशों से खरीद के अवसरों की खोज करके आयात स्रोतों में विविधता लाने के लिए उपाय किए हैं। इन उपायों का उद्देश्य उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, वैश्विक बाजार व्यवधानों से उत्पन्न कमजोरियों को दूर करना और देश में उर्वरकों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

मध्य पूर्व में संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के शिपमेंट में आए व्यवधान के कारण, सरकार ने प्राकृतिक गैस के उत्पादन, आवंटन और वितरण को विनियमित करने और इसकी समान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश, 2026 को दिनांक 09.03.2026 को अधिसूचित किया। इस आदेश में पीएनजी (घरेलू) (पिछले छह महीनों के दौरान

औसत खपत का 100%), सीएनजी (परिवहन), एलपीजी उत्पादन और उर्वरक सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस के आवंटन में प्राथमिकता दी गई, जिससे आवश्यक सेवाओं, ऊर्जा सुरक्षा और सार्वजनिक कल्याण की निरंतरता सुनिश्चित हुई। उक्त उपाय प्रकृति में अस्थायी थे और आपूर्ति की स्थिति में सुधार को देखते हुए, दिनांक 04.07.2026 की अधिसूचना के माध्यम से वापस ले लिए गए।

इसके अलावा, सरकार ने 01.04.2010 से फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम लागू की है। इस स्कीम के तहत, पीएंडके उर्वरकों को मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत शामिल किया गया है और कंपनियां अपने व्यावसायिक उतार-चढ़ाव के अनुसार इन उर्वरकों का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

आयातित फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों पर निर्भरता को कम करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एमआरपी की तर्कसंगतता पर 18.01.2024 के दिशानिर्देशों के माध्यम से घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उपाय किए गए हैं, जिसमें आयातकों/उत्पादकों और एकीकृत उत्पादकों को क्रमशः 8%/10% और 12% का उचित लाभ दिया जाता है; अनुरोधों के आधार पर, नई उत्पादन इकाइयों या मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि को एनबीएस स्कीम के तहत मान्यता दी गई/रिकॉर्ड में लिया गया है; एनबीएस स्कीम के तहत शामिल किए गए पीएंडके उर्वरकों की संख्या 2021 में 22 ग्रेड से बढ़कर 28 ग्रेड हो गई है; मिट्टी को फॉस्फेटिक या 'पी' पोषक तत्व प्रदान करने के लिए एसएसपी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए खरीफ, 2022 से एसएसपी पर माल भाड़ा सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा इस स्कीम के तहत उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एनबीएस स्कीम के तहत पोषक तत्वों की दरें अर्द्ध-वार्षिक आधार पर तय की जाती हैं।

एनबीएस नीति के तहत, पीएंडके उर्वरकों के एमआरपी को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है और कंपनियां अपने व्यापार के उतार-चढ़ाव के अनुसार उचित स्तर पर एमआरपी तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। मौसम के दौरान किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, एनबीएस सब्सिडी अधिसूचित पीएंडके उर्वरकों पर उनमें निहित पोषकतत्वों की मात्रा के आधार पर किसानों को की गई उनकी बिक्री पर उत्पादक/आयातक को प्रदान की जाती है। पी एंड के उर्वरकों के लिए एनबीएस दरों को तय करते समय प्रमुख उर्वरकों और कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में अस्थिरता पर विचार किया जाता है ताकि उर्वरक किसानों के लिए किफायती बने रहें।

खरीफ 2026 मौसम के लिए डीएपी, जो एक प्रमुख उर्वरक है, को 1350 रूपए प्रति 50 किलो बोरी की किफायती कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए, एनबीएस सब्सिडी के अतिरिक्त कारखाने के गेट से फार्म गेट तक की लागत, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि/कमी के कारण लाभ/नुकसान जैसे 'अन्य लागतों' को कवर करने के लिए 3500 रु प्रति मीट्रिक टन का विशेष प्रावधान, एमआरपी में शामिल जीएसटी घटक के लिए प्रावधान और निवल एमआरपी (एमआरपी-जीएसटी) के 4% की दर से उचित रिटर्न का प्रावधान आयातित और घरेलू डीएपी दोनों तथा आयातित टीएसपी के लिए किया गया है ताकि उर्वरकों की कीमतों को स्थिर रखा जा सके।

इसके अलावा, देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:

(i) प्रत्येक फसल मौसम के प्रारंभ होने से पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

(ii) देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

(iii) यूरिया और अन्य उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) और उत्पादन के अंतर को आयात द्वारा पूरा किया जाता है। मौसम के लिए आयात को पहले ही निश्चित कर लिया जाता है ताकि समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(iv) राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे समय पर मांग-पत्र जारी करके आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय स्थापित करें।

(v) राज्यों के लिए रेलगाड़ियों के पर्याप्त रैक देने, उर्वरकों को प्राथमिकता देने और रेलगाड़ियों की समय पर निकासी के लिए रेल मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय किया जाता है।

(vi) राज्य के भीतर जिला स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

तदनुसार, चल रहे खरीफ मौसम 2026 (01.04.2026 से 27.07.2026 तक) के दौरान देश में उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त बनी रही है।
